

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276755
SG-DL-E-03102026-276755असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]	दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 2026/आश्विन 11, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 241
No. 298]	DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 2026/ASVINA 11, 1948	[N. C. T. D. No. 241

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2026

दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क तथा रियायती पास) (संशोधन) विनियमन, 2026

फा. सं. DTC-ADMN/2/2026-ADMN-DELHI TRANSPORT CORPORATION/ E-File: 386799/42417.— दिल्ली सड़क परिवहन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली परिवहन निगम, उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क तथा रियायती पास) विनियमन, 1985, (संशोधन, 2019) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.-

- (1) इन विनियमनों को दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क तथा रियायती पास) (संशोधन) विनियमन, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. विनियमन 3 में संशोधन: दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क तथा रियायती पास) विनियमन, 1985 के (संशोधन, 2019) विनियमन 3 के खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(viii) महिलाओं के साथ-साथ दिल्ली निवासी ट्रांसजेंडर समुदाय को दिल्ली के समस्त मार्गों पर डीटीसी और परिवहन विभाग की सभी एसी और नॉन-एसी बसों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 5 और 6 या समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से जारी वैध पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके 'एकल यात्रा निःशुल्क यात्रा पास जारी होने पर निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति होगी।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

विश्वेन्द्र, विशेष आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 3rd October, 2026

F. No. DTC-ADMN/2/2026-ADMN-DELHI TRANSPORT CORPORATION/ E-File: 386799/42417.—

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 45 read with clause (d) of sub-section (1) of section 19 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), read with the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Act, 1971, the Delhi Transport Corporation, with the previous sanction of the appropriate Government, hereby makes the following regulations further to amend the Delhi Transport Corporation (Free and Concessional Passes) Regulations, 1985, (Amendment, 2019), namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) These regulations may be called the Delhi Transport Corporation (Free and Concessional Passes) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 3:- In the Delhi Transport Corporation (Free and Concessional Passes) Regulations, 1985 (Amendment, 2019), in regulation 3, after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(viii) Transgender community, along with women to travel free on all routes of Delhi in all AC & Non-AC buses of DTC and Transport Department, for the residents of Delhi, by issuance of ‘Single Journey Free Travel Pass’ by producing valid certificate of identify from concerned District Magistrate in accordance with Sections 5 and 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 or as amended time to time.”

By Order and in The Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

VISHWENDRA, Special Commissioner